

सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें (एमआईटीसी)
(आवास ऋण और गृह इक्विटी ऋण)

आवेदन क्रमांक.:

उत्पाद प्रकार:

समझौते की तिथि:

उधारकर्ता एवं सह-उधारकर्ता:

1.

2.

3. अन्य,

उपर्युक्त उधारकर्ता और सभी सह-उधारकर्ताओं और सेवा गृह ऋण लिमिटेड (एसजीआरएल) (आवास वित्त कंपनी) के बीच समझौते के संदर्भ में महत्वपूर्ण नियम और शर्तें।

1. ऋण का विवरण

स्वीकृत ऋण राशि	रुपए ₹ _____ (₹ _____ मात्र)
ऋण का उद्देश्य / ऋण राशि का वांछित उपयोग	
ब्याज दर	_____ % प्रति वर्ष मासिक आधार पर ब्याज लिया जाएगा _____ % प्रति वर्ष
ब्याज दरों के प्रकार	
ऋण की अवधि	महीने
(फ्लोटिंग रेट ऋण के मामले में एसजीआरएल खुदरा ऋण दरों में बदलाव के साथ कार्यकाल परिवर्तन के अधीन है)	
समान मासिक किस्त (ईएमआई):	₹ _____ (₹ _____ मात्र)
ईएमआई की देय तिथि	हर महीने की 10 तारीख को
चेक प्रस्तुतीकरण तिथि:	हर महीने की 10 तारीख को
प्री-ईएमआई (केवल साधारण ब्याज)	आंशिक/किश्त संवितरण अवधि के दौरान _____ % प्रतिवर्ष की दर से शुल्क लिया जाएगा.
(मासिक देय दिनों के लिए, जब तक ऋण का पूर्ण/संपूर्ण वितरण नहीं हो जाता)	
ब्याज पुनर्निर्धारित करने की तिथि	ग्राहक और उत्पाद के प्रकार, मौजूदा बाजार स्थितियों और किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों या एसजीआरएल की आंतरिक नीति में बदलाव के आधार पर एसजीआरएल द्वारा समय-समय पर रीसेट आवृत्ति तय की जाएगी। ब्याज दर में कोई भी बदलाव एसजीआरएल द्वारा अपनी वेबसाइट या एसएमएस/ईमेल आदि के माध्यम से स्थानीय भाषा में अधिसूचित किया जाएगा।
इस ऋण पर लागू होने वाली कोई भी अधिस्थगन या सब्सिडी	हाँ/नहीं

सेवा गृह रिन लिमिटेड

<p>पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नंबर सी-12, प्लॉट नंबर 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 फोन 011-40526090 जीएसटी 07AAQCS0870H1Z2</p>	<p>कॉर्पोरेट कार्यालय: बिल्डिंग नंबर 8, टॉवर सी, 8वीं मंजिल डीएलएफ साइबर सिटी गुरुग्राम-122002 फोन +911244271750 जीएसटी 06AAQCS0870HIZ4</p>	<p>वेबसाइट: sgrlimited.in टोलफ्री: 1800 11 3909 ईमेल: contact@sgrlimited.in</p>	<p>सीआईएन : U65923DL2011PLC222491</p>
---	---	---	---

2. Fees and Charges

- ऋण प्राप्त करने या ऋण समझौते की तैयारी या ऋण समझौते के अनुसार ऋण के वितरण के उद्देश्य से स्टाम्प पेपर और नोटरीकरण की लागत उधारकर्ता और/या सह-उधारकर्ताओं द्वारा वहन की जाएगी। प्रसंस्करण शुल्क के अतिरिक्त तकनीकी शुल्क, कानूनी शुल्क, दस्तावेजीकरण शुल्क/पीडीडी जैसे अन्य व्यय भी वसूले जाएंगे।
 - आपके ऋण के संदर्भ में किसी भी कानूनी कार्रवाई या ऋण की किस्त प्राप्त न होने पर, उधारकर्ता सेवा गृह ऋण लिमिटेड द्वारा किए गए कुल खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
 - कृपया एसजीआरएल द्वारा किए गए सभी भुगतानों की रसीदें अवश्य प्राप्त करें।
 - कृपया नवीनतम नियम एवं शर्तों के लिए हमारी वेबसाइट देखें।
- आप हमारे शाखा कार्यालय में ग्राहक सेवा अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।

फीस एवं शुल्क	
a.	नीचे दिए गए शुल्क एवं प्रभार परिवर्तन के अधीन हैं और यह एसजीआरएल के पूर्ण विवेक पर निर्भर होगा तथा प्रभारों में किसी भी परिवर्तन की सूचना कंपनी की वेबसाइट पर अपडेट की गई सूचना के माध्यम से ग्राहक को दी जाएगी।
b.	सभी उल्लिखित शुल्क जीएसटी से मुक्त हैं।

क्र. सं.	विवरण/शीर्ष	फीस एवं शुल्क	विवरण
1	प्रारंभिक जमा धन (आईएमडी): लॉगिन शुल्क।	शुल्क रु. 3000/- (मात्र तीन हजार रुपये)	आईएमडी का भुगतान आवेदन के समय करना होगा। आईएमडी एकमुश्त जमा है जिसे एसजीआरएल द्वारा ऋण आवेदन के लिए आवेदन प्राप्त करने, दस्तावेजों के संग्रह के लिए घर-द्वार सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एकत्र किया जाता है। ये शुल्क वापसी योग्य नहीं हैं।
2	प्रोसेसिंग फीस (पीएफ):	गृह ऋण पी.एफ. राशि - रु./- होम इक्विटी (एलएपी) पी.एफ. राशि - रु./-	मंजूरी के समय पीएफ का भुगतान किया जाता है। पीएफ का संग्रह मूल्यांकन और संवितरण के उद्देश्य से किया जाता है तथा यह ऋण के मूल्यांकन के दौरान एसजीआरएल द्वारा किए गए व्यय को कवर करता है, जैसे क्षेत्रीय जांच, धोखाधड़ी जांच, खोज रिपोर्ट आदि। पीएफ राशि, ऋण आवेदन के मूल्यांकन और आकलन के लिए किए गए व्यय में कटौती के बाद, शर्तों और निर्दिष्ट प्राधिकारी से आगे की मंजूरी के अधीन, संवितरण से पहले वापस की जा सकती है। गृह ऋण और गृह इक्विटी/एलएपी के लिए प्रसंस्करण शुल्क स्वीकृत ऋण राशि का 4% तक लिया जा सकता है।
3	तकनीकी शुल्क	शुल्क 1500/- (मात्र पंद्रह सौ रुपये)	उल्लिखित तकनीकी शुल्क प्रोसेसिंग शुल्क के अतिरिक्त लिया जाएगा।
4	प्रत्येक किस्त के संवितरण के लिए तकनीकी शुल्क	शुल्क @700/- (मात्र सात सौ रुपये)	जैसा कि उल्लेख किया गया है, यह राशि प्रत्येक किस्त संवितरण के लिए ली जाएगी।
5	कानूनी शुल्क	शुल्क 1500/- (मात्र पंद्रह सौ रुपये)	उल्लिखित कानूनी शुल्क प्रोसेसिंग शुल्क के अतिरिक्त लिया जाएगा।
6	चेक / ईसीएस / एसीएच / डीडीएम पर प्रति लेनदेन अनादर / बाउंसिंग शुल्क	प्रति उपकरण, प्रति अनादर 500/- रुपये (केवल पाँच सौ रुपये) का शुल्क लिया जाएगा।	चेक/ईसीएस/एसीएच/डीडीएम के अस्वीकृत होने पर देय यदि उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता या दोनों द्वारा जारी चेक/ईसीएस/एसीएच/डीडीएम या कोई अन्य बैंकिंग उपकरण, आहर्ता के बैंक द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो उधारकर्ताओं पर लागू शुल्क।
7	पूर्व भुगतान की राशि	दर का प्रकार	उद्देश्य/प्रीपेड या प्री-क्लोज्ड के माध्यम शुल्क (जीएसटी को छोड़कर)

सेवा गृह रिन लिमिटेड

<p>पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नंबर सी-12, प्लॉट नंबर 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 फोन 011-40526090 जीएसटी 07AAQCS0870H122</p>	<p>कॉर्पोरेट कार्यालय: बिल्डिंग नंबर 8, टॉवर सी, 8वीं मंजिल डीएलएफ साइबर सिटी गुरुग्राम-122002 फोन +911244271750 जीएसटी 06AAQCS0870HIZ4</p>	<p>वेबसाइट: sgrlimited.in टोलफ्री: 1800 11 3909 ईमेल: contact@sgrlimited.in</p>	<p>सीआईएन : U65923DL2011PLC222491</p>
---	---	---	---

	पर ऋण पूर्व भुगतान शुल्क (ऋण के पूर्व भुगतान के समय देय)		से	(कृपया नीचे दिए गए नोट देखें)
		फ्लोटिंग दर	व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को आवास ऋण/गैर-आवास ऋण, जब तक कि अंतिम उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए न हो।	“शून्य” शुल्क
		फ्लोटिंग दर	सभी प्रकार के ऋणों के लिए जहां अंतिम उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए हो या जहां उधारकर्ता कोई व्यक्ति न हो।	चुकाई गई ऋण राशि का 4%
		निश्चित दर	उधारकर्ता(ओं) के 'स्वयं के स्रोतों' के माध्यम से पूर्व-भुगतान/पूर्व-बंद आवास ऋण	“शून्य” शुल्क
		निश्चित दर	अन्य स्रोतों के माध्यम से पूर्व-भुगतान/पूर्व-बंद आवास ऋण या किसी भी उद्देश्य से गैर-आवास ऋण।	चुकाई गई ऋण राशि का 4%
		टिप्पणियाँ: 1. इस प्रयोजन के लिए "स्वयं के स्रोत" से तात्पर्य बैंक/एचएफसी/एनबीएफसी और/या वित्तीय संस्थान से उधार लेने के अलावा किसी अन्य स्रोत से है। 2. सभी दोहरी/विशेष दर (फिक्स्ड और फ्लोटिंग का संयोजन) आवास ऋण पर फिक्स्ड/फ्लोटिंग दर पर लागू प्री-क्लोजर मानदंड लागू होंगे, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि प्री-क्लोजर के समय, ऋण फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट पर है। दोहरी/विशेष दर वाले आवास ऋणों के मामले में, फ्लोटिंग दर के लिए प्री-क्लोजर मानदंड तब लागू होगा जब ऋण को निश्चित ब्याज दर अवधि की समाप्ति के बाद फ्लोटिंग रेट ऋण में परिवर्तित कर दिया जाएगा। 3. यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक निश्चित दर ऋण वह है जहां ऋण की पूरी अवधि के लिए दर निर्धारित होती है।		
8	देय तिथि/दर से भुगतान के बाद विलंबित भुगतान के लिए प्रति किस्त शुल्क (ईएमआई)। EMI	2% प्रति माह की दर से शुल्क लिया जाएगा	यदि सेवा गृह रिन लिमिटेड द्वारा मासिक किस्त निर्धारित तिथि पर या उससे पहले प्राप्त नहीं होती है, तो देय तिथि से देय राशि पर प्रति माह 2% की दर से विलंब भुगतान शुल्क (कर अतिरिक्त) लगाया जाएगा।	
9	ग्राहक के स्थान पर संग्रहण हेतु शुल्क। (घर / कार्यालय / अन्य अनुरोधित स्थान या संग्रहण स्थान)	प्रति विजिट 250/- रुपये (केवल दो सौ पचास रुपये) का शुल्क लिया जाएगा	उधारकर्ता के अनुरोध पर, सेवा गृह ऋण लिमिटेड का कर्मचारी उधारकर्ता के घर या कार्यालय या अन्य उपयुक्त/अनुरोधित संग्रह स्थान से किस्त राशि एकत्र कर सकता है। उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के घर/कार्यालय/अन्य स्थान से ऋण किस्त एकत्र करने के लिए 250/- रुपये का शुल्क एकत्र की गई किस्त राशि के साथ भुगतान किया जाएगा।	
10	दस्तावेज पुनर्प्राप्ति के लिए शुल्क. (फोटोकॉपी)	शुल्क रु. 500/- (मात्र पाँच सौ रुपये)	मूल दस्तावेजों की पुनर्प्राप्ति के लिए आपके आवेदन पर और सेवा गृह ऋण लिमिटेड के साथ बंधक रखी गई आपकी संपत्ति के कागजात की फोटोकॉपी के लिए अनुरोध या शाखा / मुख्यालय में हमारे अधिकृत कर्मियों के सामने दस्तावेजों को देखने के लिए, सभी पर 500 रुपये का शुल्क लागू होगा।	
11	एलओडी (जमा किए गए दस्तावेजों की सूची-एसजीआरएल) की डुप्लिकेट प्रति प्राप्त करने के लिए शुल्क	शुल्क रु.2000/- (मात्र दो हजार रुपये)	आपके एलओडी (दस्तावेजों की सूची) की डुप्लिकेट प्रति के लिए आपके आवेदन पर, अर्थात् बंधक बनाने के लिए एसजीआरएल के पास जमा की जाने वाली संपत्ति के कागजात और अन्य दस्तावेजों की सूची, जिस पर प्रति एलओडी 2000 रुपये की दर से शुल्क लगेगा।	
12	प्रत्येक परिशोधन	शुल्क @ रु. 2000/- (मात्र दो	उधारकर्ता को पिछले वित्तीय वर्ष के लिए हर साल अपने ऋण खाते का एक	

सेवा गृह रिन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नंबर सी-12, प्लॉट नंबर 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 फोन 011-40526090 जीएसटी 07AAQCS0870H122	कॉर्पोरेट कार्यालय: बिल्डिंग नंबर 8, टॉवर सी, 8वीं मंजिल डीएलएफ साइबर सिटी गुरुग्राम-122002 फोन +911244271750 जीएसटी 06AAQCS0870HIZ4	वेबसाइट: sgrlimited.in टोलफ्री: 1800 11 3909 ईमेल: contact@sgrlimited.in	सीआईएन: U65923DL2011PLC222491
--	--	---	---

	अनुसूची/खाते का विवरण/पूर्व भुगतान विवरण का शुल्क।	हजार रुपये)	खाता विवरण प्राप्त करने का अधिकार है। उधारकर्ता द्वारा ऋण खाते से संबंधित किसी भी अतिरिक्त खाते के विवरण या परिशोधन अनुसूची या ऋण पूर्व भुगतान/समापन विवरण की आवश्यकता के मामले में, प्रति विवरण 2000/- रुपये का शुल्क लागू होगा।
13	नो ड्यूज सर्टिफिकेट / डुप्लिकेट एनओसी के लिए शुल्क	शुल्क रु. 500/- (मात्र पांच सौ रुपये)	उधारकर्ताओं के अनुरोध पर, शाखा 500/- रुपये पर डुप्लिकेट एनओसी/अदेयता प्रमाण पत्र जारी कर सकती है।
14	बैंक खाता स्वैपिंग शुल्क	शुल्क रु. 500/- (मात्र पांच सौ रुपये)	उधारकर्ता के अनुरोध पर एसजीआरएल मौजूदा ऋण में बैंक खाते की अदला-बदली पर विचार करेगा। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए शुल्क 500 रुपये होगा (शुल्क लागू नहीं होगा, जहां अदला-बदली का कारण है - ए) पीडीसी से एनएसीएच में पुनर्भुगतान मोड परिवर्तन बी) गैर-सीटीएस से सीटीएस बैंक या सी) गैर-एमआईसीआर से एमआईसीआर समाशोधन।
15	दस्तावेजीकरण शुल्क/पीडीडी	10 लाख तक की ऋण राशि पर 500/- (केवल पांच सौ रुपये) का शुल्क लिया जाएगा। 10 लाख से अधिक ऋण राशि के लिए @1000/- (केवल एक हजार रुपये) का शुल्क लिया जाएगा	प्रसंस्करण शुल्क के अतिरिक्त, उल्लिखित दस्तावेजीकरण शुल्क लिया जाएगा।
16	परिवर्तन शुल्क	बकाया राशि का 2%	यदि ग्राहक फिक्स्ड से फ्लोटिंग ब्याज दर पर स्विच कर रहा है तो बकाया राशि का 2%

सेवा गृह रिन लिमिटेड

<p>पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नंबर सी-12, प्लॉट नंबर 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 फोन 011-40526090 जीएसटी 07AAQCS0870H12Z</p>	<p>कॉर्पोरेट कार्यालय: बिल्डिंग नंबर 8, टॉवर सी, 8वीं मंजिल डीएलएफ साइबर सिटी गुरुग्राम-122002 फोन +911244271750 जीएसटी 06AAQCS0870HIZ4</p>	<p>वेबसाइट: sgrlimited.in टोलफ्री: 1800 11 3909 ईमेल: contact@sgrlimited.in</p>	<p>सीआईएन : U65923DL2011PLC222491</p>
---	---	---	---

3. ऋण के लिए सुरक्षा

- आपकी संपत्ति, जिसे _____ के रूप में संबोधित किया जाता है, ऋण राशि के पूर्ण भुगतान तक कंपनी के पास बंधक (प्रथम शुल्क के आधार पर) रखी जाएगी। आपको इस संपत्ति से संबंधित सभी दस्तावेजों की मूल प्रति/फोटोकॉपी जमा करनी होगी जैसा कि कंपनी द्वारा आवश्यक हो सकता है।
- व्यक्तिगत गारंटी इनके द्वारा प्रदान की जाती है _____
- अन्य सुरक्षा का विवरण, यदि कोई हो _____

4. ऋण संवितरण की शर्तें:

ऋण राशि नीचे उल्लिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन वितरित की जाएगी:

- एसजीआरएल द्वारा स्वीकृति पत्र/ऋण समझौते में उल्लिखित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना।
- संपत्ति का कानूनी और तकनीकी मूल्यांकन।
- उधारकर्ता द्वारा स्वयं के अंशदान का भुगतान (ग्राहक/उधारकर्ता को ऋण राशि और कुल लागत में अंतर)
- ग्राहक द्वारा संपादित सुरक्षा/संपत्ति से संबंधित बकाया/करों/कर्तव्यों के संबंध में एसजीआरएल को नियमित रूप से जानकारी प्रदान करने का वचन दिया गया।
- अधिकृत क्षेत्रों में निर्माण कार्य लागू उपनियमों के अनुसार किया जा रहा है और निर्माण कार्य को निष्पादित करने की सभी अनुमति उधारकर्ता/डेवलपर या दोनों द्वारा ली गई है या लागू की गई है। खरीद के मामले में उधारकर्ता द्वारा इसकी पुनः जांच की गई है।
- स्वीकृति पत्र, गृह ऋण समझौते, कानूनी और तकनीकी रिपोर्ट और विषय के पहलुओं के अनुसार आवश्यक अन्य नियम और शर्तें।
- जब तक ऋण की राशि उधारकर्ता के खाते में स्थानांतरित नहीं हो जाती, एसजीआरएल ऋण संवितरण को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, एसजीआरएल के पास ग्राहकों के ऋण खाते के क्रेडिट प्रदर्शन विवरण को क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य एजेंसियों के साथ साझा करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

5. बीमा से संबंधित जानकारी:

- हम आपको सलाह देते हैं कि आप सेवा गृह ऋण लिमिटेड के पास गिरवी रखी गई संपत्ति के लिए कम से कम ऋण की अवधि के लिए बीमा कवर लें और ऋण राशि के बराबर राशि लें और उसे सेवा गृह ऋण लिमिटेड को सौंप दें। बीमा कंपनी का नाम जहां संपत्ति का बीमा किया गया है और सेवा गृह ऋण लिमिटेड को सौंपी गई है। बीमा कवर का मूल्य और अन्य नियम और शर्तें: _____

- बीमा निवेदन का विषय है। _____

6. सब्सिडी:

- हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के बारे में जानकारी दी गई है। हम समझते हैं कि हम इस योजना के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। यदि कवर किया जाता है, तो सरकार हमें सब्सिडी कार्यक्रम के लागू नियमों के अनुसार लाभ देगी। हम समझते हैं कि हम इस योजना के अंतर्गत केवल सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही आएंगे और सेवा गृह ऋण लिमिटेड का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है।
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) - पीएमएवाई के तहत सब्सिडी प्राप्त करने पर, मेरी ईएमआई एक अनिवार्य सुविधा के रूप में कम हो जाएगी और आगे लागू नियमों और शर्तों के साथ एक नई अनुसूची सूचित और स्वीकृत की जाएगी।
- सब्सिडी का लाभ उठाने की मुख्य विशेषताओं में से एक यह है कि चूक की स्थिति में, लाभार्थी को एसजीआरएल ऋण की पूरी बकाया राशि चुकाने की जिम्मेदारी होती है, जो एसजीआरएल द्वारा पहली अनुसूची के अनुसार उधारकर्ताओं/लाभार्थी को स्वीकृत और वितरित की गई राशि के आधार पर होती है। इसलिए, एसजीआरएल की शेष ऋण राशि और सरकारी सब्सिडी दोनों ही लाभार्थी/उधारकर्ताओं से वसूल की जा सकती है।

7. ऋण राशि और ब्याज का पुनर्भुगतान:

सेवा गृह रिन लिमिटेड

<p>पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नंबर सी-12, प्लॉट नंबर 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 फोन 011-40526090 जीएसटी 07AAQCS0870H122</p>	<p>कॉर्पोरेट कार्यालय: बिल्डिंग नंबर 8, टॉवर सी, 8वीं मंजिल डीएलएफ साइबर सिटी गुरुग्राम-122002 फोन +911244271750 जीएसटी 06AAQCS0870HIZ4</p>	<p>वेबसाइट: sgrlimited.in टोलफ्री: 1800 11 3909 ईमेल: contact@sgrlimited.in</p>	<p>सीआईएन : U65923DL2011PLC222491</p>
--	--	---	--

- प्री-ईएमआई के रूप में साधारण ब्याज, संवितरण की तिथि/संबंधित तिथियों से लेकर ईएमआई के प्रारंभ होने की तिथि तक ईसीएस/पीडीसी/एसीएच/डीडीएम के माध्यम से वितरित ऋण राशि पर देय होगा।
- ऋण राशि _____ महीनों में, _____ रुपये (केवल _____ रुपये) की समान मासिक किस्तों में चुकाई जाएगी, जो पूरी ऋण राशि वितरित होने की तारीख से अगले महीने से शुरू होगी।
- भविष्य में ब्याज दर में किसी भी तरह के बदलाव के मामले में आपको पत्र/कॉल या किसी अन्य उचित तरीके से सूचित किया जाएगा। फिर आपको नई ब्याज दर के अनुसार किस्त की राशि या ऋण की अवधि को समायोजित करने के लिए सेवा गृह ऋण लिमिटेड शाखा कार्यालय से संपर्क करना होगा।

8. शेष किशतों की वसूली प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण :

- आपके द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल फोन नंबर पर फोन कॉल या संदेश के माध्यम से आपको अपनी ईएमआई का भुगतान करने के लिए अपने बैंक में पर्याप्त धनराशि जमा करने के लिए याद दिलाया जा सकता है।
- यदि आपके द्वारा EMI के भुगतान के लिए प्रदान किया गया बैंकिंग साधन आपके बैंक द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो आपके द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल फोन नंबर पर फिर से फोन कॉल या संदेश भेजा जा सकता है। आपको सेवा गृह ऋण लिमिटेड के शाखा कार्यालय में चेक (साधन) अनादर शुल्क के साथ देय राशि जमा करनी होगी। कंपनी के कर्मचारी देय राशि लेने के लिए आपके घर या कार्यालय आ सकते हैं।
- यदि आप निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कुल देय राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो सेवा गृह ऋण लिमिटेड पक्षों के बीच निष्पादित ऋण समझौते और अन्य सुरक्षा दस्तावेजों के अनुसार उधारकर्ता / सह-उधारकर्ताओं के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने का हकदार होगा। कानूनी कार्रवाई जैसे कि धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम और/या एस ए आर एफ ए ई एस आई के तहत मामला-दर-मामला आधार पर शुरू की जाती है। कंपनी द्वारा बंधक के तहत रखी गई आपकी संपत्ति को कानूनी कार्रवाई या अदालत या संबंधित न्यायिक प्राधिकरण के निर्देश या निर्णय के तहत ऋण राशि वसूलने के लिए कब्जे में लिया जा सकता है और / या आगे बेचा जा सकता है।

9. आगामी वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान उधारकर्ताओं को वार्षिक बकाया शेष विवरण जारी किया जाएगा।

10. संचार का माध्यम.....डाक/एसएमएस/ई-मेल द्वारा.

11. ऋण अवधि के दौरान ग्राहक सेवाएँ-

a) कार्यालय में मिलने का समय – किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक।

b) आप अपने ऋण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए शाखा में ग्राहक सेवा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

12. अन्य शर्तें:

- ऋण की अवधि के दौरान, उधारकर्ता वसूली कर सकता है।
 - निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान से 15 कार्य दिवसों के भीतर ग्राहक सेवा अधिकारी से अपने ऋण खाते से संबंधित खाते का विवरण प्राप्त करना होगा।
 - फौजदारी पत्र को संसाधित करने के लिए सेवा समय 30 कार्य दिवस है और दस्तावेजों की सूची को संसाधित करने के लिए सेवा समय निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान से 30 कार्य दिवस है।
 - एसजीआरएल के पास बंधक के रूप में रखे गए उधारकर्ता की संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेजों की फोटोकॉपी। ऋण लेने वाले को निर्दिष्ट शुल्क के साथ एक लिखित अनुरोध देना आवश्यक है। उधारकर्ता निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने के बाद 15 कार्य दिवसों के भीतर शाखा कार्यालय से उक्त दस्तावेजों की फोटोकॉपी प्राप्त कर सकता है।
 - सभी बंद/परिपक्व ऋणों के मूल दस्तावेज ऋण बंद होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर एसजीआरएल के बैंक खाते में पूरी बकाया राशि प्राप्त होने के बाद वापस कर दिए जाएंगे। उन्हें उसी एसजीआरएल शाखा से एकत्र किया जा सकता है जहाँ से ऋण वितरित किया गया था/या फौजदारी के समय ग्राहक की पसंद की किसी भी शाखा से। एसजीआरएल शाखाओं की अद्यतन सूची के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ।
- हमारी शाखाओं का पता जानने के लिए हमारी वेबसाइट का संदर्भ लिया जा सकता है।
- एमआईटीसी एसजीआरएल ऋण नीति का एक अभिन्न अंग है।

13. शिकायत निवारण प्रक्रिया

सेवा गृह रिन लिमिटेड

<p>पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नंबर सी-12, प्लॉट नंबर 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 फोन 011-40526090 जीएसटी 07AAQCS0870H1Z2</p>	<p>कॉर्पोरेट कार्यालय: बिल्डिंग नंबर 8, टॉवर सी, 8वीं मंजिल डीएलएफ साइबर सिटी गुरुग्राम-122002 फोन +911244271750 जीएसटी 06AAQCS0870HIZ4</p>	<p>वेबसाइट: sgrlimited.in टोलफ्री: 1800 11 3909 ईमेल: contact@sgrlimited.in</p>	<p>सीआईएन : U65923DL2011PLC222491</p>
--	--	---	--

किसी भी शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता सबसे पहले कंपनी द्वारा नियुक्त शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) से मिल सकता है। ग्राहक टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके जीआरओ से बात कर सकता है या जीआरओ को मेल लिख सकता है। जीआरओ का विवरण इस प्रकार है:

सुश्री सुनीला स्वेता मिंज
शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ)
रजिस्टर कार्यालय: प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नंबर सी-12,
प्लॉट नंबर 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
फोन: 011-40526090

कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग नं. 8, टॉवर सी,
8वीं मंजिल डीएलएफ साइबर सिटी, गुरुग्राम-122002
फोन: 0124-4271-750
ई-मेल: sweta.m@sgrlimited.in/ complaints@sgrlimited.in

टोल फ्री नंबर: 1800113909

14. यदि शिकायत का समाधान ग्राहक की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो मामला कंपनी के मुख्य व्यवसाय अधिकारी के समक्ष उठाया जा सकता है।

श्री गौरव गाबा
मुख्य व्यवसाय अधिकारी
रजिस्टर कार्यालय: प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नंबर सी-12,
प्लॉट नंबर 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
फोन: 011-40526090

कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग नंबर 8, टॉवर सी, 8वीं मंजिल डीएलएफ
साइबर सिटी, गुरुग्राम-122002
फोन: 0124-4271-750
ई-मेल: : gaurav.gaba@sgrlimited.in

शिकायत दर्ज होने पर, शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) शिकायत के लिए एक सप्ताह के भीतर पावती/प्रतिक्रिया प्रदान करेगा, साथ ही विशिष्ट शिकायत पहचान संख्या भी देगा और शिकायतकर्ता से अनुरोध करेगा कि वह भविष्य में सभी वार्तालाप और पत्राचार में इस संख्या का उपयोग करे। पावती पत्र में जीआरओ का विवरण होना चाहिए। यदि शिकायत कंपनी के हेल्पडेस्क या ग्राहक सेवा नंबर पर फोन पर भेजी जाती है, तो उधारकर्ता को शिकायतकर्ता संदर्भ संख्या प्रदान की जाएगी और उसे उचित समय के भीतर प्रगति के बारे में सूचित किया जाएगा। मामले की जांच करने के बाद, कंपनी उधारकर्ता को शिकायत/अनुरोध के प्रकार के आधार पर अधिकतम 6 सप्ताह के साथ अपना अंतिम जवाब भेजेगी। यदि अधिक समय की आवश्यकता होती है, तो अंतरिम में, कंपनी ऐसे उधारकर्ता को अपेक्षित समयसीमा बताएगी और उसे सूचित किया जाएगा कि यदि वह अभी भी संतुष्ट नहीं है तो उसे अपनी शिकायत को आगे कैसे ले जाना है।

15. ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के निवारण की निगरानी के लिए मुख्य कार्यालय में मुख्य व्यवसाय अधिकारी से संबद्ध एक विशिष्ट ग्राहक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र भरकर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। (आवेदन पत्र का प्रारूप- सॉफ्ट कॉपी)।

नाम*	
पता*	
संपर्क नंबर*	
ग्राहक आईडी*	

सेवा गृह रिन लिमिटेड

<p>पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नंबर सी-12, प्लॉट नंबर 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 फोन 011-40526090 जीएसटी 07AAQCS0870H1Z2</p>	<p>कॉर्पोरेट कार्यालय: बिल्डिंग नंबर 8, टॉवर सी, 8वीं मंजिल डीएलएफ साइबर सिटी गुरुग्राम-122002 फोन +911244271750 जीएसटी 06AAQCS0870HIZ4</p>	<p>वेबसाइट: sgrlimited.in टोलफ्री: 1800 11 3909 ईमेल: contact@sgrlimited.in</p>	<p>सीआईएन : U65923DL2011PLC222491</p>
---	---	---	---

ऋण खाता सं. *	
ईमेल आईडी*	
विषय*	
प्रश्न*	

अनिवार्य क्षेत्र*

- कंपनी के उधारकर्ता पूर्व अपॉइंटमेंट लेकर किसी भी कार्य दिवस पर कंपनी के संबंधित अधिकारियों से मिल सकते हैं और अपने खातों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।
25. शिकायत निवारण समिति जिसमें जीआरओ, मुख्य व्यवसाय अधिकारी और वित्त एवं लेखा प्रमुख शामिल होंगे, शिकायत की समीक्षा करेगी और इसके निवारण के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।
- यदि उधारकर्ता प्राप्त प्रतिक्रिया से असंतुष्ट है, तो उधारकर्ता इस मामले को कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के पास भेज सकता है।

श्री विशाल ठक्कर
पूर्णकालिक निदेशक
रजिस्टर कार्यालय: प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नम्बर
सी-12, प्लॉट नम्बर 13-बी, गुरु नानक पुरा,
लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
फोन: 011-40526090

कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग नं. 8, टावर सी,
8वीं मंजिल डीएलएफ साइबर सिटी, गुरुग्राम-122002
फोन: 0124-4271-750
ई-मेल: ceo@sgrlimited.in

- यदि उधारकर्ता को 30 दिनों के भीतर कंपनी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है या प्राप्त प्रतिक्रिया से असंतुष्ट है, तो उधारकर्ता एनएचबी की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके या एनएचबी को निम्नलिखित पते पर डाक के माध्यम से राष्ट्रीय आवास बैंक के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकता है:

राष्ट्रीय आवास बैंक
शिकायत निवारण प्रकोष्ठ
विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग
चौथी मंजिल, कोर 5 ए, इंडिया हैबिटेड सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
एनएचबी वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करने के लिए लिंक
<https://grids.nhbonline.org.in>

ऋण समझौते में विवाद समाधान के साधन के रूप में मध्यस्थता का प्रावधान है।

इस दस्तावेज में पार्टियों के बीच ऋण और सुरक्षा लेनदेन की कुछ महत्वपूर्ण शर्तों का केवल सारांश शामिल है। इसलिए, इस बात पर सहमति है कि ऋण के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, पार्टियां ऋण समझौते और उनके द्वारा निष्पादित/निष्पादित किए जा रहे सुरक्षा दस्तावेजों को देखेंगी और उन पर भरोसा करेंगी।

महत्वपूर्ण

- कृपया निम्नलिखित में से एक का चयन करें-

सेवा गृह रिन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नंबर सी-12, प्लॉट नंबर 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 फोन 011-40526090 जीएसटी 07AAQCS0870H1Z2	कॉर्पोरेट कार्यालय: बिल्डिंग नंबर 8, टावर सी, 8वीं मंजिल डीएलएफ साइबर सिटी गुरुग्राम-122002 फोन +911244271750 जीएसटी 06AAQCS0870HIZ4	वेबसाइट: sgrlimited.in टोलफ्री: 1800 11 3909 ईमेल: contact@sgrlimited.in	सीआईएन : U65923DL2011PLC222491
--	--	--	-----------------------------------

- इस ऋण के उधारकर्ता और सभी सह-उधारकर्ताओं ने ऊपर उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और इन्हें पूरी तरह से समझ लिया है।
 - ऊपर उल्लिखित सभी नियम और शर्तें श्री / श्रीमती / सुश्री _____ द्वारा उधारकर्ता और इस ऋण के सभी सह-उधारकर्ताओं को पढ़ दी गई हैं और उनके द्वारा पूरी तरह से समझ ली गई हैं।
2. इस ऋण के वितरण के प्रयोजन के लिए, उधारकर्ता और इस ऋण के सभी सह-उधारकर्ता पुष्टि करते हैं कि उन्हें इस दस्तावेज़ की एक प्रति प्राप्त हो गई है।
 3. उपरोक्त शुल्क और प्रभारों में जीएसटी और अन्य सरकारी कर, शुल्क आदि शामिल नहीं हैं और ये परिवर्तन के अधीन हैं तथा यह सेवा गृह ऋण लिमिटेड के पूर्ण विवेक पर निर्भर करेगा। प्रभारों में कोई भी परिवर्तन कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा – www.sgrlimited.in
 4. एमआईटीसी का स्थानीय संस्करण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है - www.sgrlimited.in

उधारकर्ता और सभी उधारकर्ताओं और इस ऋण के सभी सह-उधारकर्ताओं के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।

नाम	हस्ताक्षर

सेवा गृह रिन लिमिटेड के लिए।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सेवा गृह रिन लिमिटेड

<p>पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नंबर सी-12, प्लॉट नंबर 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 फोन 011-40526090 जीएसटी 07AAQCS0870H1Z2</p>	<p>कॉर्पोरेट कार्यालय: बिल्डिंग नंबर 8, टॉवर सी, 8वीं मंजिल डीएलएफ साइबर सिटी गुरुग्राम-122002 फोन +911244271750 जीएसटी 06AAQCS0870HIZ4</p>	<p>वेबसाइट: sgrlimited.in टोलफ्री: 1800 11 3909 ईमेल: contact@sgrlimited.in</p>	<p>सीआईएन : U65923DL2011PLC222491</p>
--	--	---	--